



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 12 फरवरी, 1971

माघ 23, 1892 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 793/सत्रह—341/70

लखनऊ, 12 फरवरी, 1971

विज्ञापित

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1970 पर दिनांक 10 फरवरी, 1971 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1971 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस विज्ञापित द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण)
(अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1971)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 की अवधि को और बढ़ाने के लिए

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 22,
1962

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 की धारा 1 की उपधारा (3) में शब्द "आठ वर्ष" को स्थान पर शब्द "दस वर्ष" रख दिए जायें।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 22,
1962 की धारा 1
का संशोधन

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYIKA VIBHAG

No. 793/XVII—341-70

Dated Lucknow, February 12, 1971

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Hindu Sarvajanik Dharmik Sanstha (Sampatti Apavyaya Niwaran) (Asthai Adhikar) (Jari Rakhane Ka) Adhiniyam, 1970 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1971), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on February 10, 1971:

**THE UTTAR PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS
(PREVENTION OF DISSIPATION OF PROPERTIES) (TEMPORARY
POWERS) (CONTINUANCE) ACT, 1970**

[UTTAR PRADESH ACT NO. 11 OF 1971]

As passed by U. P. Legislature

AN

ACT

U. P. Act no. XXII of 1962. *further to extend the life of the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) Act, 1962*

It is hereby enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) (Continuance) Act, 1970.

Amendment of section 1 of U. P. Act no. XXII of 1962.

2. In sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) Act, 1962, for the words "eight years", the words "ten years" shall be substituted.

आज्ञा से,

प्रेम प्रकाश,

सचिव ।